12-11-2016

अपीलार्थीगण सहित श्री कें०के० शुक्ला अधि०। फरियादी जितेन्द्रसिंह सहित श्री ब्रजराज गुर्जर

अधिवक्ता।

प्रकरण लोक अदालत में राजीनामा आवेदनपत्र पर

आदेश हेत् नियत है।

फरियादीगण की ओर से एक राजीनामा अनुमति बाबत धारा-320(2) जा.फौ. का आवेदनपत्र मय फोटो चरपा करके पेश किया गया है। दोषसिद्ध अपराध धारा-323/34 भा०द०वि० का है, उक्त अपराध न्यायालय की अनुमति से स्वयं पक्षकार द्वारा शमनीय है । राजीनामा से पक्षकारों के मध्य मधुर संबंध कायम होने की संभावना है, अतः बाद विचार न्यायहित में फरियादीगण को आरोपीगण/अपीलार्थी गिर्राज, मंगल, मनीराम, एवं केदारनाथ से धारा-323/34 भा.द.वि. में राजीनामा करने की अनुमति बाद विचार प्रदान की जाती है ।

अपीलार्थी / आरोपीगण की पहचान श्री कें0कें0 शुक्ला अधिवक्ता द्वारा एवं फरियादी की पहचान श्री ब्रजराज गुर्जर अधिवक्ता द्वारा की गयी है। राजीनामा विधि अनुकूल होने से स्वीकार किया जाता है । राजीनामा के आलोक में आरोपी/अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध अपराध धारा-323/34 भा.दं.वि० से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण के अपील में प्रस्तुत जमानत मूचलके निरस्त किए जाते हैं।

आरोपीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जमा अर्थदण्ड वापिस किया जावे। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशल्क प्रदान की जावे।

आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मल रिकॉर्ड वापिस हो ।

प्रकरण पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार में ज़मा हो।

पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ क.-20,

गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

(के0सी0 उपाध्याय) (सदस्य)

खण्डपीठ क.-20 गोहद जिला भिण्ड

(स्रद्भरय) खण्डपीत क.-20

(कि0पी**)** (राठौर)

गोहद जिला भिण्ड

Tura yarmam

1220100 ANAZZION

3597 716 gren ally of us use Is